तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 80/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

06.9.2024

पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी रामाराम पटेल पुत्र जोगाराम पटेल, निवासी– 164, कुम्डाली थोबाउ, भीनमाल, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म रामदेव सुपर मार्केट, एस.बी.आई. बैंक के पास, हाईवे रोड़, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2021 को फर्म रामदेव सुपर मार्केट, हाईवे रोड़, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी रामाराम पटेल पुत्र जोगाराम पटेल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) का नमूना संख्या S-1533 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./842/Act/2021/902 दिनांक 07.12.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी रामाराम पटेल उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म रामदेव सुपर मार्केट, एस.बी.आई. के पास, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी रामाराम पटेल पुत्र जोगाराम पटेल उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) के मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर प्रतिवादी विक्रेता रामाराम पटेल को गवाह श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) के 16 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) ... पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम)

......लगातार

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 80/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 440/– (अक्षरे रुपये चार सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी रामाराम पटेल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1533, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) के चारों नमूना पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1533 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 01.11.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रामदेव सुपर मार्केट, एस.बी.आई. के पास, हाईवे रोड़, मण्डार में प्रतिवादी रामाराम पटेल से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) के नमूना संख्या S-1533 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./842/Act/2021/902 दिनांक 07.12.2021 में .....लगातार	

प्रति. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:29 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 80/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामाराम पटेल ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) के क्रय का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामाराम पटेल ने मिथ्याछाप(Misbranded) खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी, स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ब्राण्ड–लक्ष्मी गायत्री) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रामाराम पटेल पुत्र जोगाराम पटेल, निवासी– 164, कुम्डाली थोबाउ, भीनमाल, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म रामदेव सुपर मार्केट, एस.बी.आई. बैंक के पास, हाईवे रोड़, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी रामाराम को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 15.10.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:29 IST
Reason: SelfAttested